

## कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

संख्या 1287

/ टास्क फोर्स-2/ई-लॉटरी/2026-27 दिनांक:मार्च 25, 2026

सेवा में,

समस्त सम्बन्धित जिलाधिकारी,  
उत्तर प्रदेश।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु देशी मदिरा, कम्पोजिट दुकानों, भाँग की फुटकर दुकानों एवं मॉडल शॉप का व्यवस्थापन ई-लॉटरी के द्वितीय चरण द्वारा ई-लॉटरी पोर्टल (exciseelotteryup.upsdc.gov.in/) के माध्यम से कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदया/महोदय,

कृपया इस कार्यालय से निर्गत पत्र संख्या-1282/टास्क फोर्स-2/ई-लॉटरी/2026-27 दिनांक 24.03.2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत नवीनीकरण एवं प्रथम चरण की ई-लॉटरी के उपरान्त अव्यवस्थित तथा नवसृजित देशी मदिरा, कम्पोजिट दुकानों, भाँग की फुटकर दुकानों एवं मॉडल शॉप का व्यवस्थापन ई-लॉटरी के द्वितीय चरण के माध्यम से कराये जाने हेतु समय-सारिणी प्रेषित की गयी थी। उल्लेखनीय है कि दिनांक 26.03.2026 एवं 27.03.2026 को सार्वजनिक अवकाश होने तथा दिनांक 28.03.2026 को माह का चतुर्थ शनिवार होने के कारण बैंकिंग कार्य बंद होने के दृष्टिगत राजस्वहित में ई-लॉटरी के द्वितीय चरण की संशोधित समय-सारिणी निम्नवत् निर्धारित की जाती है:-

## ई-लॉटरी के द्वितीय चरण की संशोधित समय सारिणी

| क. | द्वितीय चरण                                                                                                                                                     | दिनांक                                                                           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | नवीनीकृत दुकानों की अवशेष लाइसेंस/बेसिक लाइसेंस फीस तथा ई-लॉटरी के प्रथम चरण के माध्यम से व्यवस्थित दुकानों की लाइसेंस/बेसिक लाइसेंस फीस जमा करने की अंतिम तिथि | 30.03.2026 को प्रातः 11:00 बजे तक                                                |
| 2  | अन्तिम रूप से नवीनीकृत/प्रथम चरण की ई-लॉटरी के माध्यम से व्यवस्थित दुकानों की फीस फेल अथवा पेंडिंग होने की दशा में डिमांड ड्राफ्ट लिये जाने की अंतिम समय-सीमा   | 30.03.2026 को अपरान्ह 02:00 बजे तक                                               |
| 3  | अंतिम रूप से नवीनीकृत/प्रथम चरण की ई-लॉटरी द्वारा व्यवस्थित दुकानों की मार्किंग तथा डाटा लॉक किये जाने की अंतिम समय-सीमा                                        | 30.03.2026 को सायं 04:00 बजे तक                                                  |
| 4  | नवसृजित/अव्यवस्थित दुकानों हेतु शॉप मास्टर अपडेट करने तथा इन दुकानों की द्वितीय चरण की ई-लॉटरी हेतु मार्किंग कर डाटा लॉक करने की अंतिम समय-सीमा                 | 30.03.2026 को सायं 06:00 बजे तक                                                  |
| 5  | द्वितीय चरण की ई-लॉटरी हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रारम्भ करने की तिथि व समय                                                                                       | 31.03.2026 को मध्यान्ह 12:00 बजे से                                              |
| 6  | द्वितीय चरण की ई-लॉटरी हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि व समय                                                                                        | 06.04.2026 को सायं 05:00 बजे तक                                                  |
| 7  | द्वितीय चरण की ई-लॉटरी हेतु आवेदन पत्रों का परीक्षण एवं डाटा लॉक                                                                                                | 07.04.2026 को सायं 05:00 बजे तक                                                  |
| 8  | द्वितीय चरण की ई-लॉटरी की तिथि/समय एवं स्थल                                                                                                                     | 09.04.2026 को प्रातः 11:00 बजे से समाप्ति तक जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित स्थल पर |
| 9  | द्वितीय चरण के आवंटियों द्वारा देयताओं को जमा करने की अंतिम तिथि व समय                                                                                          | 15.04.2026 को सायं 05:00 बजे तक                                                  |

नोट:-1-यदि किसी कारणवश उपरोक्त किसी निर्धारित तिथि को सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया जाता है या पूर्व घोषित सार्वजनिक अवकाश रहता है, तो उसके बावजूद संबंधित तिथि के लिये निर्धारित कार्य यथावत संपादित किये जायेंगे।

2- देशी मदिरा, कम्पोजिट दुकानों, भांग की फुटकर दुकानों एवं मॉडल शॉप की ई-लॉटरी विभागीय पोर्टल <https://exciseelotteryup.upsdc.gov.in> पर संपन्न करायी जायेगी।

अतः अनुरोध है कि कृपया उपर्युक्त समय-सारिणी से समस्त सम्बन्धित को अवगत कराते हुये स्वच्छ एवं पारदर्शी तरीके से ई-लॉटरी की द्वितीय चरण की प्रक्रिया का निष्पादन अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्गत पत्र संख्या: 1223/टास्क फोर्स-2/ई-लॉटरी/2026-27 दिनांक 12.03.2026 के अनुसार कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

  
(डा. आदर्श सिंह)  
आबकारी आयुक्त,  
उत्तर प्रदेश।

1287(i-xiii)

संख्या / टास्क फोर्स-2/ई-लॉटरी/2026-27/तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, आबकारी विभाग, बापू भवन, लखनऊ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त सम्बन्धित पुलिस आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त सम्बन्धित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
4. निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश।
5. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, योजना भवन, लखनऊ।
6. श्री शैलेश कुमार श्रीवास्तव, वरिष्ठ निदेशक (आईटीओ) एवं प्रभागाध्यक्ष, एन0आई0सी0 राज्य केन्द्र, उ0प्र0, लखनऊ।
7. समस्त संयुक्त आबकारी आयुक्त, जोन, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त उप आबकारी आयुक्त, प्रभार, उत्तर प्रदेश।
9. उप आबकारी आयुक्त, लाइसेंसिंग, मुख्यालय।
10. समस्त सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी, उत्तर प्रदेश को ई-लॉटरी के द्वितीय चरण हेतु आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
11. समस्त सम्बन्धित जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
12. श्री नीरेश पालिया, सहायक आबकारी आयुक्त, टास्क फोर्स को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त के सम्बन्ध में ई-लॉटरी पोर्टल एवं IESCMS पोर्टल पर सूचना अपलोड करायें।
13. समस्त अनुभाग अधिकारी, मुख्यालय।

  
(डा. आदर्श सिंह)  
आबकारी आयुक्त,  
उत्तर प्रदेश।

01C